



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2871/2026

कुलदीप सिंह

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से

...विरोधी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : राकेश कुमार त्रिपाठी, नरेन्द्र गुप्ता

विरोधी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 203/2025, थाना कोतवाली सिटी, जिला सीतापुर में बी.एन.एस. की धाराओं 318(4), 338, 336(3), 340(2) एवं 340(5) के अंतर्गत दर्ज मामले में दाखिल किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 27.02.2026 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त सूरज रावत तथा आशीष @ सोना के समान है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2478/2026 तथा 3675/2026 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 एवं 21.05.2026 द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में आवेदक भी जमानत पाने का अधिकारी है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सह-अभियुक्त सूरज रावत तथा आशीष @ सोना के जमानत आदेशों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई, जिन्हें अभिलेख पर ले लिया गया है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है लेकिन निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त सूरज रावत तथा आशीष @ सोना को पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों, सह-अभियुक्तों के साथ समानता के आधार तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मेरा मत है कि यह जमानत प्रदान किए जाने योग्य मामला है। अतः समानता के आधार पर जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक कुलदीप सिंह को एफ.आई.आर. संख्या 203/2025 में इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करेगा, तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा—

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक लिखित वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों और साक्ष्य के लिए तारीख नियत हो, तब वह उस तारीख पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में विचारण न्यायालय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को भी आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 209, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(vi) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (a) मामले की कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय, (b) आरोप तय किए जाने के समय, तथा (c) धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अभियुक्त का बयान दर्ज किए जाने के समय निश्चित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर की गई है या उसके पास अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए, उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने तथा जमानत को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माना जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय को जमानत निरस्त करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

दिनांक: 10 जून, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।